



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273709
CG-DL-E-22062026-273709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3148]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3148]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3274(अ).— केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 (2006 का 34) संबंध में, उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम संख्या 62 के उपबंध, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.15025/113/2022- एफआर]

प्रभाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3274(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2026 as the date on which the provisions at serial number 62 in the Schedule to the said Act, relating to the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), shall come into force.

[F. No. P.15025/113/2022-FR]

PRABHAKAR, Jt. Secy.